भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4223

दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कटनी जिले में पासपोर्ट कार्यालय

4223.**श्री विष्णु दत्त शर्माः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कटनी शहर, जो मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र और बढ़ता हुआ शहर है उसके आसपास कोई पासपोर्ट कार्यालय नहीं है जिसके परिणामतः इस बड़े शहर में, बड़ी संख्या में मौजूद अंतरराष्ट्रीय स्थानीय लोगों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कटनी में पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (घ) नागरिकों की सुविधा के लिए, विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग (डीओपी) के साथ मिलकर जनवरी 2017 में देश के प्रधान डाकघरों (एचपीओ)/डाकघरों (पीओ) में पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) खोलने का निर्णय लिया, जिन्हें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) कहा जाता है। ये केंद्र प्रत्येक ऐसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (एलएससी) में खोले जाएंगे जहां कोई

पीएसके या पीओपीएसके नहीं है। आज की तारीख तक, देश भर में 93 पीएसके और 442 पीओपीएसके स्थापित किए जा चुके हैं और ये पासपोर्ट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यशील हैं।
कटनी जिले का कुछ हिस्सा खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और कुछ शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहले से ही छतरपुर और शहडोल में क्रमशः 10.02.2019 और 02.03.2024 से पीओपीएसके कार्यशील हैं।

पासपोर्ट आवेदन के लिए अपॉइंटमेंट अगले कार्य दिवस के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा, पीओपीएसके जबलपुर (95 किलोमीटर) और पीओपीएसके दमोह (107 किलोमीटर) भी पड़ोसी क्षेत्र में स्थित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यशील हैं। इसके साथ ही, दो (02) पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) हैं - अर्थात भोपाल और इंदौर में एक-एक; और मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल के अधिकार क्षेत्र में बाईस (22) डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) कार्य कर रहे हैं।